# माननीय प्रधान मंत्री जी

# के

# भारत की अर्थव्यवस्था 2024 तक

# $5 ट्रिलियन

# के लक्ष्य हेतु

# खुदरा व्यापार के लिए

# राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव


**FEDERATION OF ALL INDIA VYAPAR MANDAL**
**फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मण्डल**
राष्ट्र के विभिन्न व्यापार मंडल एवं ट्रेड एसोसिएशन का राष्ट्रीय परिसंघ

1206, Pragati Tower, 26, Rajendra Place, New Delhi-110008
**Fax:** 011-49270605 **Email:** info@vyaparmahamandal.com
**Web:** www.vyaparmahamandal.com **Fb:** /faivm

FEDERATION OF ALL INDIA VYAPAR MANDAL
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मण्डल
राष्ट्र के विभिन्न व्यापार मंडल एवं ट्रेड एसोसिएशन का राष्ट्रीय परिसंघ
www.vyaparmahamandal.com

# प्रस्तावना

भारत महान दानवीर कारोबारी भामाशाह का देश है । विश्व में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जब एक कारोबारी ने अपने राज्य के शासक को अपना सम्पूर्ण धन दान कर दिया हो जिससे राज्य और राजा की सेना 12 वर्षो तक अपने दुश्मनो से लड़ती रही । महान दानवीर कारोबारी भामाशाह से प्रेरणा लेकर आज भी देश में करोड़ों भामाशाह राष्ट्र निर्माण में अपना समुचित योगदान दे रहे है ।

वर्तमान युग एक कारोबारी युग है जिसमे सिर्फ वही राष्ट्र प्रगति एवं उन्नति कर सकता है जिसका कारोबार समृद्ध एवं विराट हो । भारत का व्यापारी समाज राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है और भारत को एक कारोबारी राष्ट्र बनाने हेतु प्रयत्नशील है ।

आज जब देश खुदरा व्यापार के लिए पहली राष्ट्रीय नीति बनाने की ओर अग्रसर है, राष्ट्र का खुदरा समाज एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की अपेक्षा कर रहा है जो भारत के करोड़ों खुदरा व्यापारियों को मान, सम्मान, सुरक्षा, व्यापार में सुगमता, आसान एवं अनुपालन योग्य कर नीति और नीति निर्धारण में व्यापारियों की भूमिका सुनिश्चित कर सके और भारत को एक कारोबारी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित कर सके ।

आज भारत का व्यापारी समाज अपने लिए एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की कल्पना कर रहा है जिससे देश का युवा कारोबार करने हेतु प्रेरित हो, हर परिवार रोज़गार हो, गरीबी सदा के लिए समाप्त हो और भारत पुनः सोने की चिड़िया के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो ।

वी के बंसल
राष्ट्रीय महामंत्री
+91 8076435958
info@vyaparmahamandal.com

नई दिल्ली, 25 जून 2019

# INDEX


- ❖ प्रस्तावित खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रमुख लक्ष्य 1
- ❖ असंगठित क्षेत्र में भारतीय खुदरा व्यापार एक नज़र में 2
- ❖ असंगठित क्षेत्र में भारतीय खुदरा व्यापार के समक्ष चुनौतियां 3
- ❖ खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति 4-5

## खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति हेतु फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया व्यापार मंडल के प्रस्ताव

| | | |
|---|---|---|
| Chapter-I | ई-कॉमर्स एवं ऑनलाइन व्यापार से संरक्षण हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में उचित प्रावधान | 6-9 |
| Chapter-II | व्यापारियों के लिए पृथक बैंक एवं व्यापारिक ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में मान्यता प्रदान करना | 10 |
| Chapter-III | खुदरा व्यापार की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत व्यापारियों का कर संग्राहकों के रूप में मान्यता | 11 |
| Chapter-IV | खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति के माध्यम से कृषि उपज विपणन समिति को समाप्त करना या सरलीकरण करना एवं मंडी शुल्क समाप्त करना | 12 |
| Chapter-V | खुदरा व्यापार के राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत व्यापारियों को फ़ूड सेफ्टी कानून की जटिलताओं से मुक्ति | 13 |
| Chapter-VI | व्यापार करने में सुगमता हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में कुछ अन्य प्रावधान | 14-15 |
| Chapter-VII | एक राष्ट्र एक कर | 15 |
| Chapter-VIII | बाजारों में भौतिक बुनियादी ढांचे को विकसित करना एवं स्थानीय बाजार समितियों / व्यापार मंडल को मिले स्थानीय निकायो जैसे दर्ज़ा | 16 |
| Chapter-IX | व्यापारी कल्याण हेतु विशेष प्रावधान | 17-18 |
| **Chapter-X** | एकल बिंदु जीएसटी लागु कर व्यापारियों को पेचीदा कर अनुपालन से मुक्ति हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में उचित प्रावधान | 19-20 |
| Chapter-XI | खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति के माध्यम से आयकर के प्रावधानों में संशोधन | 21 |
| Chapter-XII | घरेलु कारोबारी सुगमता हेतु कंपनी कानून के अंतर्गत विविध फॉर्म को वार्षिक विवरणी में समायोजित करने हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में सम्बंधित प्रावधान | 22 |
| Chapter-XIII | खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति की समय-समय पर समीक्षा हेतु प्रावधान | 23 |

# प्रस्तावित खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रमुख लक्ष्य

**आधुनिक युग में खुदरा के पांच स्वरुप है :**

- परम्परागत देशी खुदरा व्यापार जो अक्सर एक दूकान या शोरूम के माध्यम से व्यापार करते है
- मॉडर्न रिटेल या हाइपर मार्किट जैसे की बिगबाजार, रिलाइंस स्टोर इत्यादि
- ऑनलाइन इ कॉमर्स जैसे किं अमेज़न, फिल्पकार्ट इत्यादि
- डायरेक्ट सेलर जैसे किं एमवे इत्यादि से जुड़े विक्रेता जो किसी दुकान के माध्यम से न बेच कर , अपने संपर्क से अपना सामान विक्रय करते है
- हॉकर्स एवं रेड्डी पटरी वाले विक्रेता

उपरोक्त के अतिरिक्त पिछले दरवाज़े से कैश एंड केरी थोक व्यवसाय (वालमार्ट, मेट्रो इत्यादि) खुदरा व्यापार में संलिप्त है और परंपरागत खुदरा को इनसे भी चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है ।

प्रस्तावित खुदरा नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य परम्परागत देशी खुदरा व्यापारी के लिए संरक्षण होना चाहिए क्योंकि वर्तमान में परम्परागत देशी खुदरा को खुदरा क्षेत्र के ही अन्य अंग, हाइपर मार्किट , ऑनलाइन इ कॉमर्स एवं डायरेक्ट सेलर्स तथा इसके अतिरिक्त कैश एंड केरी थोक व्यवसाय (वालमार्ट, मेट्रो इत्यादि) से मिल रही चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है ।

खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति हेतु फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रस्ताव

# असंगठित क्षेत्र में भारतीय खुदरा व्यापार एक नज़र में

- राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 22% से अधिक का योगदान।
- राष्ट्रीय रोजगार में लगभग 45% का योगदान, जो लगभग 450 मिलियन लोगों के लिए है।
- भारत में खुदरा क्षेत्र आर्थिक मूल्य से दुनिया के शीर्ष पांच खुदरा बाजारों में से एक है
- एक प्रमुख अर्थव्यवस्था विश्लेषण फर्म ने अनुमान लगाया कि भारतीय खुदरा आर्थिक मूल्य में लगभग दोगुना हो जाएगा, 2020 तक लगभग 400 बिलियन डॉलर का विस्तार होगा।
- घरेलू व्यापार में वर्तमान में देश भर में 6 करोड़ से अधिक व्यापारी संलिप्त हैं ।
- हैंडकार्ट और फुटपाथ विक्रेता भी घरेलू व्यापार का ही एक हिस्सा हैं।
- भारत में विनिर्माण या सेवा क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा सम्भावना न होने के कारण लाखों लोग अनौपचारिक क्षेत्र (घरेलु व्यापार) में अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं।
- घरेलू व्यापार, जो कम पूंजी और कम बुनियादी ढांचे की जरूरतों के साथ शुरू किया जा सकता है, अपेक्षाकृत आसान है, और बेरोजगारों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है ।

## खुदरा व्यापार की संरचना

- कैरिंग एंड फॉरवार्डिंग एजेंट : जो निर्माता से सीधे माल लेते है प्रायः राज्य स्तर पर कार्य करते है
- वितरत (Distribution) : जो प्रायः जिला / तालुका स्तर पर कार्य करते है
- थोक व्यापार (Wholeseller) : जो प्रायः स्थानीय बड़े बाजार स्तर पर कार्य करते है
- खुदरा व्यापार (Retailers ) : जो ग्राहक /उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचाते है ।

# असंगठित क्षेत्र में भारतीय खुदरा व्यापार के समक्ष चुनौतियां

- भारत का खुदरा बाजार 60 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद के साथ 2020 तक यूएस $ 1.1 ट्रिलियन तक पहुंचने के सम्भावना है

- ऑनलाइन खुदरा बिक्री प्रति वर्ष 31 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान के साथ सं 2021 तक $ 100 बिलियन पहुंचने की सम्भावना है

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अनुसार, भारतीय खुदरा व्यापार में अप्रैल 2000 से दिसंबर 2018 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) द्वारा US $ 1.59 बिलियन इक्विटी द्वारा प्राप्त हुए, घरेलु पारम्परिक खुदरा हेतु यह बहुत बड़ा खतरा है

- अगले तीन वर्षों में संगठित क्षेत्र की कुल घरेलू बिक्री में हिस्सेदारी वर्तमान में 5% से बढ़कर लगभग 10% से 15% तक पहुंचने की सम्भावना है । कई बड़े घरेलू व्यापार समूह आंतरिक व्यापार क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आक्रामक तरीके से अपने कार्यों का विस्तार कर रहे हैं जो घरेलु परंपरागत व्यापार हेतु भविष्य में बहुत बड़ा खतरा बन सकते है ।

- बड़े व्यवसाय समूहों द्वारा महानगरों और अन्य बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल के चल रहे प्रसार के अलावा हाइपरमार्केट, सुपरमार्केट और डिस्काउंट स्टोर जैसे संगठित खुदरा बिक्री के कई प्रारूप स्थापित किए जा रहे हैं। इसके देश भर के लाखों छोटे और असंगठित खुदरा विक्रेताओं की आजीविका के लिए गंभीर खतरा हैं।

- भारत में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 11 दुकानों के साथ दुनिया में सबसे अधिक दुकान घनत्व है जो यूरोपीय या एशियाई देशों की तुलना में बहुत अधिक है। असंगठित खुदरा विक्रेताओं के विस्थापन और आजीविका के नुकसान के संदर्भ में संगठित रिटेल के विकास और कंसोलिडेशन की संभावित सामाजिक लागत बहुत अधिक है।

- देशी परंपरागत एवं असंगठित खुदरा क्षेत्र के लिए एक और चुनौती ई-रिटेल की बढ़ती लोकप्रियता है।

# खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति

**खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति बनाते समय असंगठित क्षेत्र में घरेलु खुदरा व्यापार के राष्ट्र की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान एवं निम्न बिन्दुओ पर आंकलन किया जाना आवश्यक है**

- असंगठित क्षेत्र का घरेलु खुदरा व्यापारी अर्थव्यवस्था का इंजन हैं जिसके द्वारा आज भी कुल खुदरा व्यापार का 95% व्यापार किया जाता है ।
- खुदरा व्यापार में 95% हिस्सेदारी का मतलब है कि सभी निर्मित उत्पाद और कृषि उपज खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से अपने अंतिम गंतव्य (उपभोक्ता) तक पहुंचते हैं।
- लगभग 25 करोड़ की आबादी अपनी आजीविका हेतु असंगठित क्षेत्र के खुदरा व्यापारियों पर निर्भर है।
- लगभग 20 करोड़ की संख्या में जन मानस जैसे श्रमिक, ट्रांसपोर्टर्स इत्यादि अप्रत्यक्ष रूप से असंगठित क्षेत्र के खुदरा व्यापारियों पर निर्भर है ।
- व्यापारी सभी स्तरों पर सरकार की ओर से कर एकत्र करते हैं और उन्हें अपने खर्च पर राजकोष में जमा करते हैं।
- सामाजिक महत्त्व के संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय सहकारी समितियों, लघु उद्योग द्वारा बिना ब्रांड के उत्पाद असंगठित क्षेत्र के खुदरा व्यापारियों द्वारा ही बाज़ारो में बेचे जाते है, जिससे देश का आर्थिक ढांचा मजबूत बनता है ।
- खुदरा व्यापार के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति द्वारा सरकार को सभी प्रकार के व्यापारियों को सामान अवसर देने की प्रक्रिया करनी चाहिए और छोटे व्यापारियों को पूर्ण संरक्षण दे कर भारत के परंपरागत ढांचे को और मजबूत करना चाहिए |
- मौजूदा घरेलु असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों को गहरी जेब वाले खुदरा दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु संरक्षण की आवश्यकता है जिससे यह क्षेत्र राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं जारी रख सके ।
- हम यह भी स्वीकार करते हैं कि घरेलु असंगठित क्षेत्र के द्वारा खुदरा व्यापार के कार्य शैली में सुधार और मौलिक रूप से बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि हमारे उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर सर्वोत्तम उत्पाद मिलें, किसानों को उनकी उपज का सर्वोत्तम मूल्य मिले, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा जा सके ।

- व्यापारियों पर अक्सर मुनाफा खोरी के आरोप लगते रहे है जबकि यह पूर्णतः असत्य है । सरकारी तंत्र इतना मजबूत एवं सक्षम है किं किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी प्रकार के छल कपट को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है । अच्छी तरह से परिभाषित और व्यावहारिक व्यापार नीति के अभाव में कुछ व्यापारी वर्ग, भ्रष्ट तंत्र के सहयोग से, भ्रष्ट व्यापार, समाज और कानून विरोधी व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते है । करों की विसंगति एवं पेचीदा कर अनुपालन भी अक्सर व्यापारियों को कर चोरी को प्रेरित करती है ।

- खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति को इस प्रकार होने चाहिए जिससे ईमानदार व्यापार को बढ़ावा मिले । खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति के द्वारा करो को सरल एवं छोटे व्यापारियों द्वारा अनुपालन करने योग्य बनाई जानी चाहिए और व्यापारियों का सरकारी उत्पीड़न से संरंक्षण का भी ध्यान रखना चाहिए । ईमानदार व्यापारियों को संवेदना और प्रोत्साहन के माध्यम से ईमानदार व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, हमें संस्थागत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता है

खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति हेतु फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मण्डल का प्रयास

# खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति हेतु प्रस्ताव

## CHAPTER-I

### 01. ई-कॉमर्स एवं ऑनलाइन व्यापार से संरक्षण हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में उचित प्रावधान

भारत में बढ़ते हुए ऑनलाइन व्यापार एवं विदेशी थोक के बढ़ते हुए कदमो से भारत का खुदरा व्यापारी एवं छोटा दुकानदार स्तब्ध स्थिति में है और यह नहीं समझ पा रहा है कि उसका एवं उस पर आश्रित 45 करोड़ के भी ज्यादा का जनमानस, जिनकी आजीविका खुदरा एवं लघु व्यापारियों से चलती है, का भविष्य क्या होने वाला है । भारत के खुदरा व्यापारी का भय निराधार नहीं है क्यूंकि विदेशी ऑनलाइन वालो के कार्य प्रणाली संदेहास्पद है क्योकि बिक्री बढ़ रही है फिर भी घटा बढ़ता ही जा रहा है, कॅश ऑन डिलीवरी वाले ट्रांसक्शन में “पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का उलन्घन हो रहा है, बिक्री बढाने हेतु बिना ब्याज आसान किस्तों का फाइनेंस कर रही है । उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज़ शिकायतों में 90% शिकायत ऑनलाइन विक्रेताओं के विरुद्ध है फिर भी इन कंपनियों का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है । उपरोक्त के सन्दर्भ में निम्न बातों पर अगर हम गंभीरता से विचार करे तो हमारा शक वास्तविकता में बदल जायेगा ।

i. यह बात तो सुनिश्चित है कि विदेशी ऑनलाइन कारोबारियों का भारत में व्यवसाय करने के पीछे का उदेश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा न हो कर भारत के देशी खुदरा व्यापार को समाप्त करने का है । वस्तुओ की खरीद / उत्पादन लागत से भी काम पर उपभोक्ता को मॉल बेचना कोई पवित्र कारोबार नहीं हो सकता । अतः ऑनलाइन कारोबारियों को खरीद / उत्पादन लागत एवं उसपर कुछ उचित मुनाफा जोड़कर मॉल बेचने के लिए बाध्य करना चाहिए तभी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समाप्त हो सकती है ।

ii. भारत में कारोबार कर रही प्रमुख ऑनलाइन कारोबारी, फिल्पकार्ट का 2018 का व्यापारिक घाटा 3222 करोड़ रहा जो 2017 वर्ष में 1883 करोड़ था और वह भी तब जब बिक्री 17822 करोड़ से बढ़ कर 24717 करोड़ हो गयी । यही कुछ हालत चीन की अलीबाबा द्वारा वित्त पोषित पेटीएम मॉल की भी है और अमेरिकन अमेज़न भी इसी हालात से गुजर रहा है।

iii. यह विदेशी ऑनलाइन अपनी बिक्री बढ़ने हेतु भारतीय कानून "पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007" का भी खुले आम उलन्घन कर रही है क्योकि इस कानून के अनुसार यह कम्पनिया "कैश ऑन डिलीवरी"के माध्यम से माल नहीं बेच सकती और वास्तविकता यह है कि इन कंपनियों की आधी बिक्री "कैश ऑन डिलीवरी"के माध्यम से ही होती है ।

iv. हाल ही मे प्रकाशित एक समाचार पत्र के अनुसार भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज़ शिकायतों में 90% शिकायत ऑनलाइन विक्रेताओं के विरुद्ध है । यह आंकड़ा दर्शाता है कि ऑनलाइन विक्रेता भारत के गरीब उपभोक्ताओं के साथ छल कर रहे है, जो देश हित में नहीं है ।

v. चीन के बहुत से ऑनलाइन पोर्टल भारत में सीधे सीधे अपने पोर्टल के माध्यम से मॉल बेच रहे है और डाक / कूरियर के द्वारा डिलीवरी दे रहे है । इस तरह से यह विदेशी पोर्टल आयात शुल्क की चोरी भी कर रहे है । इस पर भी रोक लगने चाहिए |

vi. अभी तक ऐसे कोई भी विशिष्ट प्राधिकारी का प्रावधान नहीं है जो ऑनलाइन कारोबारियों द्वारा नकली सामान बेचने पर जाँच कर सके और दोषी को दण्डित कर सके । उपभोक्ता की दृष्टि से ऑनलाइन में क्षेत्राधिकार एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल किसी और स्थान से होता है, सामान बेचने वाला किसी और स्थान से होता है, सामान वितरण वाला कोई और । अतः ऐसी अवस्था में उपभोक्ता का स्थान क्षेत्राधिकार मन जाना चाहिए और उपभोक्ता संरक्षण कानून में भी बदलाव लाना चाहिए ।

vii. अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और उपभोक्ता मूल्य में (वह कीमत जिस पर उपभोक्ता माल खरीदता है) में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है । यदि अधिकतम खुदरा मूल्य पर सरकार जीएसटी वसूल करे तो शायद अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) और उपभोक्ता मूल्य में अंतर समाप्त हो जाए । इससे सरकार को जीएसटी की वसूली भी भलीभांति हो जाएगी और उपभोक्ता भी भ्रमित होने से बच जायेंगे ।

## 02. कैश और कैरी थोक व्यापार के अपने अधिकार-क्षेत्र के उलंघन पर प्रतिबन्ध

भारत सरकार द्वारा 2010 में कैश एंड केरी थोक व्यापार में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की गयी । कैश और कैरी थोक बिक्री व्यवसाय को प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं को बिक्री की अनुमति नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह कैश एंड केरी थोक व्यवसाय को किसी भी प्रकार की वस्तुओ के वितरण (Distribution) का अधिकार भी नहीं था क्योकि कैश एंड केरी थोक व्यवसाय के प्रारूप में वितरण का कार्य हो ही नहीं सकता । यह विदेशी कैश और कैरी थोक बिक्री व्यवसाय न केवल अंतिम उपभोक्ताओं को सीधे सीधे विक्रय कर रही है अपितु वितरण क्षेत्र में भी अपना व्यवसाय कर रही है ।

कैश और कैरी थोक व्यापार की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति हेतु निम्न सुझाव है ।

a. विदेशी कैश एंड केरी थोक स्टोर को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वह सिर्फ जीएसटी पंजीकरण पर खुदरा व्यापारी को अपना सामान बेचे । किसी अन्य प्रकार के पंचीकरण मान्य न हो ।

b. विदेशी कैश एंड केरी थोक स्टोर को किसी भी कीमत पर वितरण क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

c. एक मजबूत नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए जो घरेलू कारोबार के हितों की रक्षा के लिए विदेशी कैश एंड केरी थोक व्यवसायी की व्यावसायिक गतिविधियों पर नज़र रख सके ।

d. प्रस्तावित नियामक प्राधिकरण राज्य स्तर पर गठित किया जाना चाहिए और इन विदेशी संस्थाओं की किसी एकाधिकारवादी प्रथाओं या दमनकारी व्यावसायिक नीतियों की जांच करने का अधिकार दिया जाना चाहिए ।

e. इस तरह के नियामक प्राधिकरण में भारतीय व्यापार समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ।

f. विदेशी कैश एंड केरी थोक स्टोर पर अपनी कमाई, कुछ हिस्से को छोड़ कर, को भारत से बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए ।

g. विदेशी कैश एंड केरी थोक स्टोर को सिर्फ मेट्रोपॉलिटन शहरों में व्यवसाय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। छोटे और मध्यम शहरों के व्यापारी समुदाय को विदेशी कैश एंड केरी थोक स्टोरों के खतरे से बचाया जाना चाहिए।

h. कंसोलिडेटेड FDI पालिसी (अगस्त 2018 से लागु) में नियम संख्या 5.2.15.1.1. एवं 5.2.15.1.2 पेज 36 को संशोधित कर देशी व्यापारियों के हितो की रक्षा हेतु अति आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक एवं राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाए कि विदेशी खुदरा व्यवसायी पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उनके लिए बनाये गए नियमो का सख्ती से पालन कराया जाए |

## 03. खुदरा व्यापार के राष्ट्रीय नीति में हाइपर मार्किट एवं मॉडर्न रिटेल से राष्ट्र के परंपरागत खुदरा व्यापार को बचाने हेतु ठोस नीति

22 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ बढ़ रहे मॉडर्न रिटेल जैसे की बिगबाजार, रिलायंस फ्रेश, इत्यादि शनैः शनैः भारत के देशी खुदरा व्यापारी के लिए खतरा बनते जा रहे है । विदेशी पूँजी, पेशेवर प्रबंधन तंत्र एवं उत्पादक से सीधे खरीदारी के जरिए यह मॉडर्न रिटेल छोटे छोटे शहरो में भी अपनी पैठ बनाते जा रहे है । राष्ट्र के परंपरागत देशी खुदरा व्यापारियों के हितो की रक्षा करने हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में उचित प्रावधान लेन चाहिए और सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए ।

# CHAPTER-II

## व्यापारियों के लिए पृथक बैंक एवं व्यापारिक ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में मान्यता प्रदान करना

वर्तमान में अक्सर व्यापारियों को त्वरित वितरण के साथ अल्पकालिक वित्त की आवश्यकता होती है। मौजूदा बैंकिंग प्रणाली दोनों जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। परिणामस्वरूप व्यापारियों को अपरंपरागत तरीकों की तलाश करने के लिए मजबूर किया जाता है जो न केवल बहुत महंगा ऋण साबित होते हैं, बल्कि कालाबाजारियों और धन उधारदाताओं द्वारा काले धन को जमा करने में भी मदद करते हैं।

RBI के निर्देशों के बावजूद, वर्तमान बैंकिंग प्रणाली, व्यापार / छोटे उद्यमों और व्यापार ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का दर्ज़ा नहीं देते है ऋण देने में संकोच करते है । वे अधिकांश व्यापारियों को उधार देकर जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि व्यापारी बहुत अधिक आवश्यक कोलेटरल और गारंटी का उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं। वर्तमान में सिर्फ 4% बैंक ऋण ही असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों को दिए गए है ।

इसका एक मात्र विकल्प प्रत्येक बैंक को कुछ शाखाये सिर्फ खुदरा व्यापारियों के ऋणों हेतु नामित की जाए और बैंक प्रबंधन यह सुनिश्चित करे किं खुदरा व्यापारियों के ऋणों के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करे।

जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत लघु कारोबारियों को बैंक ऋण के ब्याज में विशेष छूट मिलनी चाहिए ताकि कारोबारी अपना कारोबार बढ़ा सके और युवाओ को ज्यादा से ज्यादा रोज़गार दे सके ।

# CHAPTER III

## खुदरा व्यापार की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत व्यापारियों का कर संग्राहकों के रूप में मान्यता

01. व्यापारी एक सरकारी कर्मचारी के तरह सरकार के लिए अवैतनिक रूप से कार्य करता है एवं राज्य और केंद्र सरकार द्वारा राजस्व संग्रह का स्रोत हैं । एक व्यापारी अपने जोखिम पर सरकारी राजस्व का पूरा पूरा प्रबंधन करता है और सरकार को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट भी भेजता है । यह सब कार्य वह निशुल्क करता है जबकि इसी प्रकार कार्य हेतु सरकार लाखो लाखो रुपये के वेतन पर अधिकारी रखती है । निशुल्क एवं अवैतनिक सेवा प्रदान करते हुए कर प्रशासन उसे संदेह की दृष्टि से देखता है और अवसर मिलने पर उत्पीड़न भी करता है । खुदरा व्यापार की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत यापारियों की भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करना चाहिए और व्यापारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के परिश्रम के लिए पुरस्कार देना चाहिए। इस नीति के द्वारा एक अच्छे टैक्स कलेक्टर और टैक्स चोर के बीच अंतर करना होगा।

02. खुदरा व्यापार की राष्ट्रीय नीति के तहत, व्यापारियों को "टैक्स कलेक्टर" का दर्जा दिया जाना चाहिए और करों के संग्रह के लिए व्यापारियों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें कर के संग्रह की दिशा में किए गए उनके खर्चों की भरपाई की जा सके। इस तरह के कदम से अधिक से अधिक व्यापारियों को सरकार के लिए अधिक राजस्व इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

03. भारत में अर्थव्यवस्था की वृद्धि के दर वर्तमान में लगभग 7 फ़ीसदी के आस पास है । अतः यदि किसी व्यापारी द्वारा अपने कारोबार में 10 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज़ कर, 10 फ़ीसदी का कर ज्यादा दिया है तो ऐसे व्यापारियों पर सर्वे, विशेष जांच पड़ताल, सरकारी कार्यालय के चक्कर इत्यादि से मुक्त कर देना चाहिए । खुदरा व्यापार की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत यह प्रावधान होना चाहिए कि यदि व्यापारी की प्रगति एवं वृद्धि दर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से ज्यादा है तो ऐसी व्यापारियों का विशेष सम्मान होना चाहिए । इस तरह के कदम से कर प्रणाली में व्यापारियों का विश्वास बहाल होगा जिसका सीधा सीधा लाभ सरकार को मिलेगा और कर आधार का विस्तार होगा ।

# CHAPTER-IV

## खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति के माध्यम से कृषि उपज विपणन समिति को समाप्त करना या सरलीकरण करना एवं मंडी शुल्क समाप्त करना

भारत की राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार आढ़तियों को एक अवांछनीय कड़ी मानती है और अपने नीतिगत कार्यक्रम के अनुसार किसान और उपभोक्ता के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी, जिसे सरकार बिचौलिया कहती है के कारोबार को शनैः शनैः समाप्त करना चाहती है । सरकार किसानो की विभिन्न वित्तीय एवं अन्य आवश्यकता की पूर्ति करने में विफल है, ऐसे अवस्था में उसका सबसे बड़ा सहारा आढ़ती ही होता है और किसान आढ़ती का सम्बन्ध पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है । कुछ प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार है जिनका समाधान राष्ट्रीय व्यापार नीति के माध्यम से अति शीघ्र होना आवश्यक है

a. केंद्र सरकार द्वारा जब जीएसटी लाया गया था, तब यह बताया गया था कि सभी प्रकार के कर, जीएसटी में समायोजित कर दिये जायेंगे और विभिन्न प्रकार के राज्य या केंद्र के सभी कर समाप्त कर सिर्फ जीएसटी लगाया जायेगा । मंडी शुल्क भी एक प्रकार का जीएसटी ही है । क्योकि कृषि उत्पाद पर जीएसटी नहीं है तो सरकार मंडी शुल्क भी क्यों ले रही है ।

b. आढ़ती एक प्रकार से किसानो के लिए मिनी बैंक भी है जो समय समय पर किसानो की वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति भी करते है, इस नाते किसानो की फसल पर आड़तियो का पहला हक़ बनता है, जिसे सरकार सरकारी खरीद के माध्यम से समाप्त करना चाहती है ।

c. आड़त व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना या लाइसेंस का नवीनीकरण करने में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मंडी समिति द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न करा जाता है ।

# CHAPTER-V

## खुदरा व्यापार के राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत व्यापारियों को फ़ूड सेफ्टी कानून की जटिलताओं से मुक्ति

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक (एफएसएसएआई) अधिनियम व्यापारियों के उत्पीड़न का पिटारा खोलने वाला है । इस कानून  में इतने पेच है किं लघु स्तरीय व्यापारी इसके मानकों को पूरा नहीं कर पाएगा और सरकारी उत्पीड़न का शिकार बन जाएगा । सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो भारतीय परिवेश में लागू किए जा सकें।

खुदरा व्यापार के राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक (FSSAI) अधिनियम पर पुनःविचार किया जाय और इस कानून को इस प्रकार बनाया जय जिसमे छोटे से छोटे व्यापारी को भी अनुपालन करने में कोई कठिनाई न हो।

FSSAI के अंतर्गत नवीनीकरण प्रक्रिया प्रतिवर्ष न होकर, पांच साल में एक बार होनी चाहिए।

खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति हेतु फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का प्रस्ताव

# CHAPTER-VI

## व्यापार करने में सुगमता हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में कुछ अन्य प्रावधान

**01. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में प्रावधान:**

डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियों द्वारा व्यापारियों से भुगतान देने में जो ट्रांसक्शन चार्जेज के नाम से कटौती की जाती है जिससे व्यापारी डिजिटल माध्यम से भुगतान प्राप्त करने में संकोच करता है । खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में यह प्रावधान होना चाहिए किं डिजिटल भुगतान पर काटने वाला चार्ज सरकार वहन करे जिससे प्रत्येक व्यापारी डिजिटल माध्यम से भुगतान प्राप्त करने में संकोच न करे ।

**02. व्यावसायिक सम्पतियो को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में उचित प्रावधान**

विकास प्राधिकरणों एवं सरकार द्वारा निर्मित या सरकारी जमीन पर निजी बिल्डर द्वारा ऐसी लाखो की संख्या में व्यावसायिक संपत्ति है जिसका व्यापारी पूरी कीमत का भुगतान कर चूका है फिर भी प्रतिवर्ष लीज चार्जेज भी देता है । लीज होल्ड संपत्ति को अपनी वित्तये आवश्यकता हेतु बैंक में भी बंधक भी नहीं रख सकते ।

खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत भारत में सभी व्यावसायिक सम्पतियो को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करना चाहिए

**03. व्यापार करने का समय सभी प्रकार के व्यापार हेतु एक सामान होने चाहिए**

असंगठित खुदरा व्यापारी स्वयं अपना कार्य करता है, वही बिक्री भी करता है, वही थोक बाजार में जा कर अपना सामान क्रय करता है और यदि कोई सरकारी अनुपालन होता है तो स्वयं सरकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाता है । अपने परिवार के अन्य उत्तरदायित्व भी निभाना एक व्यक्ति के लिए आवश्यक कार्य है । अतः अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलने हेतु उस पर समय बाध्यता भी होती है । दूसरी ओर हाइपर मार्केट या बड़े बड़े स्टोर 24x7 पर काम करते है । उपभोक्ता / खरीदार अपनी सुविधा के अनुसार इन हाइपर / सुपर मार्केट में चले

जाएंगे, जिसके कारण असंगठित खुदरा व्यापारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और असंगठित खुदरा व्यापार धीरे धीरे बंद होते जले जाएगी ।

**04. एकीकृत कानून**

व्यापारिक क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय द्वारा पारित विभिन्न कानून का पालन करना पड़ता है । खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति द्वारा सभी प्रकार के कानूनों का कंसोलिडेशन होना चाहिए और जहा तक संभव हो सके सभी राज्य एवं जनपदों में एकीकृत कानून लागु किया जाना चाहिए ।

**05. तर्कयुक्त न्यूनतम मजदूरी**

राजनीतिक कारणों से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विवेकरहित तरीके से न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जा रही है, जिसे वहन करना लगभग असंभव सा हो रहा है और न्यूनतम मजदूरी के कारण रोजगार देने के स्थान पर रोजगार समाप्त हो रहा है । अतः खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के विषय में व्यापारी संगठनों के विचार विमर्श कर एक तर्कयुक्त न्यूनतम मजदूरी तय की जानी चाहिए ।

## CHAPTER VII

## एक राष्ट्र एक कर

a. कुछ राज्य व्यापारियों से प्रोफेशनल चार्जेज भी वसूल करते है । यह न केवल असवैधानिक है बल्कि व्यापारियों के उत्पीड़न का एक बड़ा स्त्रोत भी है । खुदरा व्यापारियों के राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत व्यापारियों पर लगने वाला प्रोफेशनल टैक्स तत्काल समाप्त होना चाहिए पड़ोस की खुदरा दूकान को प्रोत्साहित करने हेतु, दूकान पर राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगने वाले विभिन्न करो एवं लाइसेंस को समाप्त करना चाहिए ।

b. जो व्यापारी जीएसटी के अंतर्गत कार्य कर रहे है उन पर प्रोफेशनल टैक्स की वसूली अवांछित है और इसको खुदरा व्यापर की राष्ट्रीय नीति के माध्यम से समाप्त किया जाना आवश्यक है

# CHAPTER VIII

## बाजारों में भौतिक बुनियादी ढांचे को विकसित करना एवं स्थानीय बाजार समितियों / व्यापार मंडल को मिले स्थानीय निकायो जैसे दर्ज़ा

आज बाज़ारो में ग्राहक जाना नहीं चाहते क्यूंकि स्थानीय बाज़ारो में बुनियादी सुविधाओं का बहुत ज्यादा अभाव है । स्थानीय बाजार, स्थानीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आती है पर दुर्भाग्यवश स्थानीय निकाय दुकानदारों से मोटे मोटे सम्पति कर तो वसूल करती है पर बाज़ारो को विकसित करने का प्रयास नहीं करती । बाज़ारो में न तो शौचालय है, न ही प्रयाप्त पार्किंग, यातायात व्यवस्था का बुरा हाल एवं बाज़ारो में हॉकर्स एवं दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण ।

खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति को पारंपरिक और स्थानीय पड़ोस के बाजार में भौतिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में प्रयास करने होंगे । कॉरपोरेट भारत द्वारा शॉपिंग मॉल और आधुनिक बाज़ारों के उद्भव के साथ, पारंपरिक बाजारों और स्थानीय पड़ोस के बाजारों को पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि वे भी कॉर्पोरेट भारत द्वारा नए शॉपिंग मॉल या आधुनिक बाज़ारों की तरह ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। इसका मतलब यह है कि इस नीति को शहरी विकास और नगर नियोजन प्रक्रिया में कहना चाहिए।

a. हमारा प्रस्ताव यह है किं स्थानीय बाजार समिति / व्यापार मंडल को अर्ध स्थानीय निकाय (quasi civic body) का दर्ज़ा दिया जाना चाहिए और उक्त बाजार से प्राप्त राजस्व को बाजार के सौन्दर्यकरण एवं बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में खर्च होना चाहिए ।

b. खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति को वाणिज्यिक बाजारों और इस उद्यम में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए; इस तरह का तंत्र पीपीपी मॉडल पर संबंधित बाजारों के संबंधित व्यापार मंडल या ट्रेड एसोसिएशन पर आधारित हो सकता है।

# CHAPTER-IX

## व्यापारी कल्याण हेतु विशेष प्रावधान

**01. पृथक व्यापारी न्यायाधिकरण और लोक अदालतों की स्थापना**

जटिल कानूनी अनुपालन एवं कागजी कमी के कारण व्यापारी वर्ग अक्सर सरकारी तंत्र द्वारा उत्पीड़न का शिकार होता है और समय और धन गवां देता है जिससे व्यापार में विपरीत असर पड़ता है ।

खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में इस महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करना चाहिए ताकि सभी प्रमुख बाजारों में स्थानीय ट्रिब्यूनल / लोक अदालतें स्थापित की जा सकें।

**02. जिला व्यापार सलाहकार समिति**

खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति की तहत, एक व्यापार आयुक्त को जिला स्तर पर नियुक्त किया जा सकता है जो व्यापार नीति के मूल सिद्धांतों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। सरकार और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए व्यापार आयुक्त की अध्यक्षता में एक जिला व्यापार सलाहकार समिति गठन किया जाना चाहिए जिसमे स्थानीय व्यापारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए ।

**03. शेष कार्य बल / विशेषज्ञ समितियाँ**

a. सरकारी एजेंसियों के साथ व्यापारियों के मुद्दे पर संज्ञान लेने हेतु टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए, ताकि कार्य बलों और विशेषज्ञ समिति द्वारा नीति स्तर के हस्तक्षेप की सिफारिश की जा सके।

b. टास्क फोर्स को अध्यक्ष के रूप में सचिव स्तर के अधिकारी के साथ गठित होना चाहिए और इसमें विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के सदस्य, व्यापार मंडलों से प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए ।

**04. खुदरा व्यापारियों हेतु एक अलग मंत्रालय "देशी व्यापार मंत्रालय"**

खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत देश के खुदरा व्यापारियों हेतु एक अलग मंत्रालय "देशी व्यापार मंत्रालय" की स्थापना की जानी चाहिए ताकि देशी कारोबारियों के विकास एवं हितो से सम्बंधित सभी मामलो की तीव्र गति से निपटारा हो सके और प्रत्येक कारोबारी सेगमेंट/खंड के लिए एक व्यापार संवर्धन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए जिसमे व्यापारी प्रतिनिधियों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए

**05.** खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत भारत सरकार की आयुष्मान योजना की तरह व्यापारियों के लिए एक विशेष चिकित्सा एवं वृद्ध अवस्था बीमा योजना लागु करनी चाहिए ।

**06. राजनीतिक बंद के दौरान व्यापारियों से लूटपाट एवं तोड़फोड़ की घटनाओ पर खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में समुचित प्रावधान**

राजनीतिक दलों या सामाजिक संगठनों, अपनी मांगो को लेकर, अक्सर भारत बंद या बाजार बंद का आव्हान करते है और एक व्यापारी को बल पूर्वक अपने दूकान बंद करने के लिए विवश करते है और दुकानदार द्वारा विरोध करने पर दूकान में तोड़ फोड़ करते है, आगजनी एवं लूटपाट जैसे घटनाओ को भी अंजाम देते है । जिस प्रकार सरकार, सरकारी संपत्ति की रक्षा करती है उसी प्रकार व्यापारियों की सम्पत्तियो की रक्षा भी की जाए और यदि उक्त संपत्ति को कोई नुक्सान होता है, तो राष्ट्रीय संपत्ति मान कर उसकी क्षतिपूर्ति की जाए ।

# CHAPTER-X

## एकल बिंदु जीएसटी लागु कर व्यापारियों को पेचीदा कर अनुपालन से मुक्ति हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में उचित प्रावधान

जीएसटी आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा क्रांतिकारी टैक्स रिफार्म है । शुरुवात में व्यापारियों को बहुत सी असुविधा का सामना करना पड़ा दूसरी ओर सरकार ने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर संशोधन भी किया गए । इन सब के बावजूद भारत का व्यापारी समुदाय मुख्यतः विक्रेता वर्ग (Traders) अभी भी जीएसटी कर प्रणाली को सुगमता से अपना नहीं पा रहा है और कई बार वह इनपुट क्रेडिट (ITC) को लेकर भयभीत रहता है । कर चोर पूरी तरह से सक्रिय है जिसके कारण एक ईमानदार व्यापारी शक के दायरे में आ जाता है । जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत किसी भी वस्तु में समस्त विक्रेता श्रृंखला (Traders) सिर्फ 20 प्रतिशत मूल्य संवर्धन करती है और उक्त 20 प्रतिशत पर जीएसटी का भुगतान करती है और उक्त 20 प्रतिशत जीएसटी करदाता की कुल संख्या के 80 प्रतिशत करदाता द्वारा किया जाता है ।

एकल बिंदु GST / Single Point GST से अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण GST की वसूली अंतिम निर्माता से अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर कर ली जाए और थोक एवं खुदरा व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स व जॉब वर्कर को GST की प्रक्रियाओं से मुक्त कर दिया जाए। एकल बिंदु GST में सेवा क्षेत्र समिल्लित नहीं किया गया है।

### एकल बिंदु GST से मुख्य लाभ निम्न प्रकार है

- एकल बिंदु GST व्यवस्था एक राष्ट्र एक कर के परिकल्पना को पूर्ण करती है ,इसमें GST के वर्तमान दरे सभी राज्यों में समान रहेगी है ।

- एकल बिंदु GST के अंतर्गत अंतिम निर्माता से GST वसूल करने के उपरांत कोई भी सामान किसी भी राज्य से किसी भी राज्य में बिना किसी रूकावट या अवरोध के भेजा जा सकता है ।

- वर्तमान व्यवस्था में कर चोरी की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता । एकल बिंदु GST के अंतर्गत कर चोरी की सम्भावना लगभग शून्य समान होगी क्यूंकि कर दाता की संख्या कम होगी और यह करदाता संगठित क्षेत्र से होगा अतः कर अनुपालन में कोई कठिनाई नहीं होगी और सरकार द्वारा करदाता पर निगरानी आसानी से की जा सकेगी |

- प्रस्तावित एकल बिंदु GST के अंतर्गत अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर GST की वसूली होनी है अतः MRP एक ऐसा बेस रेट बन जाएगा जिससे किसी भी स्तर का खुदरा व्यापारी छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा और Anti Profiteering जैसे प्रावधानों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी |

- एकल बिंदु GST में सरकार का लक्ष्य उपभोक्ता को बेचे गए मूल्य पर GST वसूल करना है । यदि GST सिर्फ निर्माता पर लगाया जाए और वह भी खुदरा मूल्य (MRP) पर, सरकार का लक्ष्य निर्माता स्तर पर ही पूरा हो जाएगा । जब सरकार MRP पर निर्माता से ही GST वसूल कर चुकेगी तो सामान बेचने वाले दुकानदार GST की कर देयता और अनुपालन से मुक्त हो जाएगे ।

- जीएसटी के बेहतर संग्रहण हेतु एवं कर चोरी की रोकथाम हेतु एकल बिंदु प्रणाली सबसे कारगर सिद्ध हो सकती है । निर्माता स्तर पर यदि उपभोक्ता मूल्य / एमआरपी पर जीएसटी वसूल कर लिया जाए तो व्यापारी समाज जीएसटी से मुक्ति पा जायेगा और अपना व्यापार बढ़ाने की और ध्यान देगा ।

# CHAPTER-XI

## खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति के माध्यम से आयकर के प्रावधानों में संशोधन

a. जो व्यापारी जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत के स्वामी है, या पार्टनर है या निदेशक है उनपर व्यक्तिगत आयकर की छूट की सीमा 5 लाख होनी चाहिए ।

b. आयकर प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन लाना चाहिए जिसके अंतर्गत छोटे खुदरा एवं थोक व्यापारियों, जिनकी वार्षिक बिक्री 10 करोड़ तक है को स्त्रोत पर कर कटौती ( टीडीएस) से मुक्त किया जाए ।

c. आयकर एवं जीएसटी अधिकारी सिर्फ उन्ही फर्मो में जांच के लिए जाए जिन फर्मो की वार्षिक बिक्री 10 करोड़ या अधिक है ।

d. जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत साझेदार फर्म या LLP पर आयकर की दर 20 प्रतिशत होनी चाहिए जो वर्तमान में 30 प्रतिशत है और कंपनी करदाता पर यह दर 25 प्रतिशत है ।

e. आयकर पर से शिक्षा एवं उच्च शिक्षा सेस पूर्णतः समाप्त करना चाहिए ।

# CHAPTER-XII

## घरेलु कारोबारी सुगमता हेतु कंपनी कानून के अंतर्गत विविध फॉर्म को वार्षिक विवरणी में समायोजित करने हेतु खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति में सम्बंधित प्रावधान

a. जिस प्रकार आयकर और जीएसटी की विवरणी करदाता स्वयं प्रमाणित / स्वयं सत्यापित करके जमा करता है उसी प्रकार कंपनी कानून की तहत दाखिल होने वाले सभी फार्म कंपनी निदेशकों द्वारा स्वयं प्रमाणित / स्वयं सत्यापित स्वीकार करने चाहिए और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी द्वारा सत्यापन की बाध्यता समाप्त करनी चाहिए |

b. कंपनी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत एक वार्षिक विवरणी दाखिल की जाती है । सरकार को किसी भी कंपनी के जो कोई भी सूचना प्राप्त करनी है, वह सिर्फ वार्षिक विवरणी के माध्यम से प्राप्त करले । छोटे कारोबारी अक्सर अज्ञानता वश बीच बीच में घोषित किये जाने वाले अनुपालन नहीं कर पाते है और भारी दंड के भागी बन जाते है । पंजीकृत कार्यालय की स्थिति हेतु फार्म INC-22A, (25 अप्रैल), डायरेक्टर्स का वार्षिक KYC, फार्म DIR 3, (30 अप्रैल तक), लघु उद्योग की देनदारी का अर्धवार्षिक विवरण MSME FORM 1, (30th अप्रैल and 31st अक्टूबर), डायरेक्टर्स का वार्षिक विवरण DIR–8 बोर्ड मीटिंग के तुरंत बाद, जमा का वार्षिक विवरणी DPT-3, (22-अप्रैल) जैसे सभी फर्मो को वार्षिक विवरणी (Annual Returns ) में समायोजित कर देने चाहिए ।

# CHAPTER XIII

## खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति की समय-समय पर समीक्षा हेतु प्रावधान

कोई भी निति कुछ समय विशेष तक बहुत अच्छा कार्य करती है परन्तु समयनुसार कुछ कुछ संशोधनों की आवश्यकता पड़ती रही है । सरकार जिस प्रकार प्रति वर्ष एक बजट लाती है और अपनी नीतियों की समीक्षा करती है, उसी प्रकार खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति की भी प्रति वर्ष समीक्षा होनी चाहिए और व्यापारिक संगठनों से परामर्श कर उचित संशोधनों का प्रावधान भी होना चाहिए |

खुदरा व्यापार के लिए राष्ट्रीय नीति हेतु फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मण्डल का प्रस्ताव

# कारोबारी कौन है ?

वह विशिष्ट समुदाय जिनकी संख्या मात्र 1% है और जो 99% राष्ट्र के जनसमुदाय हेतु 100% अप्रत्यक्ष कर वसूल कर सरकार के पास जमा करता है, जो प्रत्यक्ष कर का एक बड़ा भाग अपनी आय में से सरकार के राजस्व में जमा करता है और जो राष्ट्र के युवाओं हेतु 90% रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है और जो आधुनिक भारत के निर्माण में भामाशाह की भूमिका निभाता है, यह है भारत का कारोबारी और यह कारोबारी आज राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अपने योगदान हेतु कारोबारी सुगमता एवं अपने स्वाभिमान की अपेक्षा करता है ।